L. A. BILL No. XX OF 2022.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYAT'S AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २० सन् २०२२।

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् १९६५ का महा. ४०। सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ४।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और इसलिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२२, १४ जुलाई २०२२ को प्रख्यापित हुआ था ;

(शा.म.मु.) एचबी ८५६—१ (५०—८-२०२२)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ कहलाए।

(२) यह १४ जुलाई २०२२ को प्रवृत हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१क-१क में संशोधन।

२. महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५१ क-१ क की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६५ का महा. ४०।

" (१) धारा ५१ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, जिसके लिए आम निर्वाचन लिये जानेवाले है ऐसे प्रत्येक नगर परिषद का धारा ५१-१क के उपबंधों के अध्यधीन एक अध्यक्ष होगा जो धारा ११ के अधीन तैयार की गयी नगर परिषद मतदाता सूची में जिनके नाम सम्मिलित है ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा । "। सन् २०२२ का महा.।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१क-१ख का अपमार्जन।

३. मूल अधिनियम की धारा ५१क-१ख अपमार्जित की जायेगी ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१क में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५१क की,—

सन् २०२२ का महा. ।

(१) उप-धारा (६क) में " महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारम्भण के पश्चात् " शब्दों और अंकों के स्थान में, " महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात् " शब्द और अंक रखे जायेंगे ; सन् २०१७ का महा. ९ ।

(२) उप-धारा (६ख) अपमार्जित की जायेगी ।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५२ का प्रतिस्थापन।

५. मूल अधिनियम की धारा ५२ के स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष की पदावधि।

" **५२.** अध्यक्ष की पदावधि उसके निर्वाचन के दिनांक से पाँच वर्षों की होगी और उसकी अवधि परिषद की अवधि से सहविस्तारित होगी :

सन् २०२२ का महा.।

परन्तु, इस धारा की कोई भी बात महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भण के पूर्व, जिसके लिये आम निर्वाचन लिये जानेवाले है उस परिषद के संबंध में जिसने पद धारण किया है ऐसे अध्यक्ष को लागू नहीं होगा, और इस धारा के उपबंध ऐसे प्रारम्भण के सद्य पूर्ववर्ती दिनांक पर अस्तित्व में है ऐसे अध्यक्ष की पदावधि के संबंध में निरंतर लागू होगा । "।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-१क में संशोधन। सन् २०२२ का महा.।

६. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख -१क की, उप-धारा (१) के स्थान में निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

" (१) धारा ३४१ख-१ में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन), अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात्, जिसके लिए आम निर्वाचन लिये जानेवाले है ऐसे प्रत्येक नगर पंचायत का धारा ५१-१क के उपबंधों के अध्यधीन एक अध्यक्ष होगा जो धारा ३४१ख के अधीन प्रत्येक वार्ड से पंचायत के पार्षदों के निर्वाचन के लिये तैयार की गयी मतदाता सूची में जिनके नाम सम्मिलित है ऐसे व्यक्तियों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा । "।

७. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-१ख अपमार्जित की जायेगी । सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-१ख का अपमार्जन।

८. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख-२ की,— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-२ में संशोधन।

सन् २०१८ का महा. ९ ।

(१) धारा (६क) में, " महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन), अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के पश्चात् " शब्दों और अंकों के स्थान में, " महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भण के दिनांक के पश्चात् " शब्द और अंक रखे जायेंगे ; सन् २०२२ का महा.।

(२) उप-धारा (६ख) और (६ग) अपमार्जित की, जायेगी ।

९. मूल अधिनियम की धारा ३४१ख -४ की,— सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ३४१ख-४ में संशोधन।

सन् २०१८ का महा. ८ । सन् २०२२ का महा.।

(१) उप-धारा (३) में, " महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन), अधिनियम, २०१७ के प्रारम्भण के दिनांक के पूर्व " शब्दों और अंकों के स्थान में, " महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०२२ के प्रारम्भण के दिनांक पूर्व " शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (४) अपमार्जित की, जायेगी ।

१०. (१) इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भव हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के उपबंधों से अनअसंगत ऐसी बात कर सकेगी, जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाई के निराकरण की शक्ति।

परन्तु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा ।

(२) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात् **यथासंभव शीघ्र**, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

सन् २०२२ का महा. अध्या. क्रमांक ४।

११. (१) महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ एतद्-द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०२२ का महा. अध्या. क्रमांक ४ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी के उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, की गई समझी जायेगी ।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२० (सन् २०२० का महा. १२) के प्रारम्भण के पश्चात्, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) के अधीन नगर परिषदों और **नगर पंचायतों** के अध्यक्ष, नगर परिषदों और **नगर पंचायतों** के निर्वाचित पार्षदो द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे और उनकी पदावधि, उनके निर्वाचन के दिनांक से ढ़ाई वर्ष की होगी ।

२. नगर परिषद और **नगर पंचायत** के बडे पैमाने पर निर्वाचन निश्चित है और भविष्य में उसे लिये जाने की संभावना है । विद्यमान परिस्थिति का पुनरीक्षण करने के पश्चात् और नगर परिषदों और **नगर पंचायत** तथा उक्त पीठासीन प्राधिकारियों के कार्यालयों के कार्य सुचारू रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम के उपबंधों का यथा निम्न यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया था :—

(एक) यह उपबंध करना कि, नगर परिषदों और **नगर पंचायतों** के अध्यक्ष नगर परिषदों और **नगर पंचायतों** के निर्वाचन करने के लिए जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित है उन व्यक्तियों द्वारा सीधे निर्वाचित किए जायेंगे ;

(दो) यह उपबंध करना कि, नगर परिषदों और **पंचायतों** के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पदावधि पाँच वर्षों की होगी ;

(तीन) यह उपबंध करना कि, सीधे निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने की माँग को, उसके निर्वाचित होने के दिनांक से ढ़ाई वर्ष की अवधि के भीतर कलक्टर को भेजी नहीं जायेगी ;

(चार) आवश्यक पाये जानेवाले अन्य आनुषंगिक संशोधनों को कार्यान्वित करना ।

३. चूँकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चूका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (सन् २०२२ का महा. अध्या. क्र. ४), १४ जुलाई २०२२ को प्रख्यापित हुआ था ।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है ।

मुंबई,
दिनांकित १२ अगस्त, २०२२।

एकनाथ संभाजी शिंदे,
मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खंड १०.— इस खंड के अधीन, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम को उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत किसी कठिनाई का निराकरण करने के लिये आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये ऊपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है ।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित १६ अगस्त, २०२२।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई